न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 127/2009 (जीसीएमएस **नम्बर 2009/00013**)

1. राकेश कुमार जैन पुत्र श्री आत्माराम जैन, निवासी मकान नम्बर 4365, के.जी. बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र स्व० श्री राधाकिशन, जाति बागड़ा ब्राहमण, निवासी ग्राम गौनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
2. बोदीलाल पुत्रान गोविन्द नारायण
3. रमेश
4. मु० सुन्दरी देवी बेवा गोविन्द नारायण
5. रामस्वरुप
6. भगवान सहाय पुत्रान स्व० राधाकिशन
7. प्रहलाद
8. रामरतन
9. रामशरण समस्त जाति बागड़ा ब्राहमण, निवासी ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
10. तहसीलदार भू०अ० सांगानेर जिला जयपुर

— रेस्पोडेन्ट्स

द्वितीय अपील विरूद्ध आदेश जिलाधीशजी जयपुर दिनांक 10—6—2009 उनवानी गोपाल बनाम राकेश कुमार जैन वगैरह प्रकरण सं० 13/2008

उपस्थितः—

1. श्री राकेश स्वामी, वकील अपीलान्ट।
2. श्री सत्यनारायण शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री राकेश शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्याा 2 से 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 04.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिलाधीश जयपुर के निर्णय दिनांक 10.06.2009 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. जिलाधीश जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2009 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिलाधीश, जयपुर दिनांक 10.06.2009 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई रेस्पो संख्या 6 से 9 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2009 अधीनस्थ न्यायालय जिलाधीश जयपुर विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी गौर नही दिया कि नामान्तकरण संख्या—511 दिनांक 26—2—2008 रेस्पोडेन्ट नम्बर—10 ने

भू–अभिलेख अधिकारी को शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा–135(2) भू–राजस्व अधिनियम के तहत खोला है एवं तहसीलदारजी को उक्त शक्ति या राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–(236)/राजस्व/ही–56 दिनांक 26–10–1956 के तहत प्रदान की गई है एवं इसी अधिनियम विषय की धारा–20 (ए) (!)के अन्तर्गत जिला कलेक्टर को भी भू–अभिलेख अधिकारी को शक्तियां प्राप्त है इस कारण से रेस्पोडेन्ट संख्या 10 द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण संख्या–511 दिनांक 26–2–2008 को प्रथम अपील श्रीमान सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष ही विचारणीय है। लेकिन अदालत मातहत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जो आदेश पारित किया है वह अवैधानिक अवैध होने के कारण स्वतः ही निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत के श्रीमान के समक्ष एडवोकेट राकेश स्वामी ने केवल मात्र उपरोक्त अपीलान्ट राकेश कुमार जैन की ओर से ही वकालतनामा प्रस्तुत किया जबकी अदालत मातहत है श्रीमान के समक्ष प्रथम अपील में रेस्पोडेन्ट नम्बर 2,4,5 व 6 की ओर से गलत उपस्थिति दर्ज कर बिना पक्षकारान को सुने हुए जो विधि विरूद्ध आदेश दिया है वह खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। अदालत मांतहत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट स्थिति थी कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दावा दायरी से पूर्व ही क्रय कर ली थी एवं कब्जा भी प्राप्त कर लिया था उसी आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर–10 ने अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक किया जो कि वैद्य एवं विधि सम्मत था लेकिन इन तथ्यों को दरकिनार कर अदालत मातहत ने बिना विचार किये जो क्षैत्रविहिन एवं निराधार अवैध आदेश पारित किया है वह निरस्तनीय हैं। अदालत मातहत के समक्ष विचाराधीन अपील मे रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 ने जो अनुतोष चाहा था, उससे बाहर जाकर अदालत मातहत ने आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्वतः हो निरस्त होने योग्य हैं। अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरे एवं रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात को दरकिनार कर बिना सोच विचार किये हुए जो अवैध एवं क्षैत्रविहिन आदेश पारित है स्वतः ही निरस्त होने योग्य है।

5. वकील रेस्पोडेन्टस ने अपीलान्ट की अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि सर्वप्रथम तो अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है तथा अपीलाधीन आदेश कान्ट्रेरी टू लॉ एण्ड अगेन्स्ट टू लॉ होने से तथा आरबीट्रेरी आर्डर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 ने कथन किया था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने वादग्रस्त भूमि जो शामिलाती एवं पुश्तैनी भूमि है, जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 10 का हक व हिस्सा निहित है का विधि विरूद्ध बेचान करने पर एवं सक्षम न्यायालय में वाद घोषणा, तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करने तथा अपीलान्ट के पक्ष में तथा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट दिनांक 31.05.2006 को स्टे आर्डर जारी होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद ग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण तस्दीक करने से राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने पर न्यायालय की आज्ञा का खुले आम उल्लघंन किया है तथा अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने से स्वतः ही खारिज योग्य है। मान्य न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कान्ट्रेरी आर्डर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सक्षम न्यायालय में रेगूलर वाद व स्टे जैरकार होते हुए मिन अपीलान्ट्स को सुने बगैर ही अवैध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 धनाढय एवं कोलोनाईजर व्यक्ति है। वादग्रस्त भूमि को विवादित होने के बावजूद भी सस्ते दामों में खरीद कर अनुचित लाभ उठाने की गरज से विवादित भूमि का बेचान करने पर उतारू है। रेस्पोडेन्ट सस्ते दामों में खरीद कर अनुचित लाभ उठाने की गरज से विवादित भूमि का बेचान करने पर उतारू है। यदि वाद ग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में इसी तरह क्रमवार बेचान व परिवर्तन होता रहा हो अपीलान्ट को कभी भी न्याय नहीं मिल पायेगा तथा मल्टीपसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स में बढोतरी होगी। जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त कर नामान्तरकरण की प्रोसिडिंग्स नियमित वाद के निस्तारण तक स्टे किया जाना न्यायहित में है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाकर प्रोसिडिंग्स ऑफ

मुटेशन का फैसला दावा स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2009 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर द्वारा ग्राम गोनेर के नामान्तरकरण संख्या 511 पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2008 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को प्रकरण प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देश दिये गये हैं कि पक्षकारान को शहादत प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में जारी स्थगन आदेशों को मध्यनजर रखते हुये उपरोक्त आब्जर्वेशन के अनुसार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय सादिर करने के आदेश पारित किये गये है, जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद विवादित भूमि का हिस्सा 1/2 का बेचान जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2006 को अपीलान्ट राकेश कुमार जैन के पक्ष में अवैध रूप से करवा दिया। चूकिं विवादित भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 01 एवं रेस्पोडेंट संख्या 05 लगायत 09 का हक हिस्सा निहित है। रेस्पोडेंट संख्या 02 लगायत 04 अपीलांट के ही कुटुम्ब के ही व्यक्ति है। जिनके पूर्व हक अधिकारी गोविन्द नारायण एवं राधाकिशन सगे भाई थे। उक्त भूमि पैतृक एवं अविभाजित भूमि है। जिसका आज तक विधिवत विभाजन नही किया गया। अपीलांट ने सक्षम न्यायालय में दावा घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर दिनांक 31.05.2006 को विरूद्व अपीलांट ने स्टे प्राप्त किया था, जिसका अभिज्ञान अपीलांट को बखूबी प्राप्त था। अपीलांट के हक में दिनांक 24.05.2006 को नामान्तरकरण संख्या 360 दर्ज कर पंचायत से तस्दीक के लिये पेश किया था। जिसे दिनांक 06.06.2006 को पंचायत का कोरम अपूर्ण रहने पर पटवारी हल्का द्वारा लौटा दिया था। रेस्पोडेन्ट ने स्टे ऑर्डर की तामिल रेस्पोडेंट संख्या 10 को दिनांक 02.06.2006 को करवा दी थी। उसके पश्चात अपीलांट ने तथ्यों को छुपाते हूए पुनः भू–अभिलेख विभाग से वादग्रस्त भूमि का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2008 तदनुसार नामान्तरकरण संख्या 511 ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर तस्दीक करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2009 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर द्वारा ग्राम गोनेर के नामान्तरकरण संख्या 511 पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2008 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को प्रकरण प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देश दिये गये हैं कि पक्षकारान को शहादत प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में जारी स्थगन आदेशों को मध्यनजर रखते हुये उपरोक्त आब्जर्वेशन के अनुसार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय सादिर करने के आदेश पारित किये गये है, जो कि उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 10.06.2009 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर का निर्णय दिनांक 10.06.2009 यथावत रखा जाता है

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर